

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 528
मंगलवार, 6 फरवरी, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य

528. श्री सुशील कुमार सिंह:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) अब लोक सेवा केन्द्र के रूप में कार्य कर सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर विवरणी दाखिल करने, जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने, बिजली बिल का भुगतान और राशन कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट आदि के लिए आवेदन करने जैसी सेवाएं पैक्स स्तर पर उपलब्ध होंगी; और

(ग) यदि हां, तो पीएसीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हां, मान्यवर। प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी-ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जो पैक्स को देश की ग्रामीण जनता को बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण/अपडेट करने, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं, आदि सहित 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। अभी तक देश में कुल 30,647 पैक्स द्वारा सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू किया जा चुका है।

सामान्य सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हुए पैक्स विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर सकेंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. **प्रधानमंत्री कल्याण योजनाएं:** आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ई-श्रम पंजीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इत्यादि ।
- ii. **केन्द्रीय सरकार संबंधी सेवाएं:** आधार, पैन कार्ड, जीवन प्रमाण, पासपोर्ट, जल एवं बिजली बिल भुगतान सेवा, ITR दाखिल करना, ई-स्टैप, इत्यादि ।
- iii. **राज्य सरकार संबंधी सेवाएं:** ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, PDS सेवाएं, नगरपालिका सेवाएं, इत्यादि ।
- iv. **वित्तीय समावेशन संबंधी सेवाएं:** बैंकिंग, ऋण, बीमा, पेंशन, डिजिपे, FASTag, इत्यादि ।
- v. **कृषि संबंधी सेवाएं:** सीएससी ई-एग्री पोर्टल, एग्री टेली- कंसल्टेशन एवं ई-पशु चिकित्सा, मृदा परीक्षण केंद्र, किसान ई-मार्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, इत्यादि ।
- vi. **ई-मोबिलिटी और स्मार्ट प्रोडक्ट:** ग्रामीण ई-मोबिलिटी डीलरशिप, स्मार्ट प्रोडक्ट, इत्यादि ।
- vii. **अन्य सेवाएं:** स्त्री स्वाभिमान पहल, स्पर्श डिफेन्स पेंशन सेवा पोर्टल, मोबाईल, डीटीएच रिचार्ज और बिल भुगतान, इत्यादि ।
